

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-मेरठ ।

सेवा में,

सूचना निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर-प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 387 / ग्रा0अ0वि0 / निविदा / 18-19 / दिनांक:: 7-5 - 2018

विषय:- ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-05 के प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया संलग्न ई-निविदा को पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के सर्वाधिक प्रचलित किन्हीं दो हिन्दी
दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। कार्यालय की ई-मेल आईडी0

eeredmeerut@gmail.com है तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय का दूरभाष नं0-01212664337 है ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार छः अतिरिक्त प्रति एवं सी0डी0

भवदीय,

(सैयद जव्वार हुसैन)
अधिकासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-मेरठ ।
(मो0नं0-9412097260)

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि :- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता(आई0टी0सेल) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को
उक्त सी0डी0 सहित सूचनार्थ प्रेषित ।

(सैयद जव्वार हुसैन)
अधिकासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-मेरठ ।
(मो0नं0-9412097260)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ ।

पत्रांक-387 / ग्रा0अ0वि0 / निविदा / 2018-19 / दिनांक: 07.05.2018

अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना-05

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निम्नलिखित स्वीकृत/स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्माण कार्य हेतु प्रतिशत दर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं निम्न कार्यों के लिये अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश में श्रेणी-ए,बी,सी,एवं डी में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने योग्य होंगे। निविदादाता एक या एक से अधिक कार्यों के लिए निविदा डाल सकता है ।

2. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> से दिनांक 25.05.2018 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 30.05.2018 सायं 16:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है। ई-टेन्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर सबमिट करने की अन्तिम तिथि 30.05.2018 समय सायं 16:00 बजे तक है तथा तकनीकी निविदायें दिनांक 31.05.2018 को अपराह्न 12:00 बजे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ में खोली जायेंगी। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को कार्यालय बन्द होता है तो उक्त निविदा अगले कार्य दिवस में ऑनलाईन खोली जायेगी तथा निविदा खोलने का समय तथा वैधता पूर्ववत् होगा। ऑनलाईन फाईनेन्शियल बिड खोलने हेतु समय एवं तिथि वेबसाईट पर बाद में दर्शाई जायेगी। ई-निविदा से संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है ।

3. कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	विकास खण्ड	आंकलित धनराशि (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि 2 प्रतिशत	स्टेश0 मूल्य+ निविदा मूल्य+ जी.एस. टी.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	जिला धिकारी का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेरठ (सा.नि. बागपत	ग्राम पेपला सडक से पंडितो के शमशान तक खडण्जा कार्य	रोहटा	6.335	12700.00	500 + 225+ 87	तीन माह	ग्रा0 अ0वि0, विकास भवन मेरठ	ग्रा0 अ0वि0, थापर नगर मेरठ	जिला धिकारी मेरठ
2	मेरठ (सा.नि. बागपत	ग्राम भोला में बडे तालाब से छोटे तालाब तक नाला निर्माण कार्य	रोहटा	8.193	16400.00	500 + 225 + 87	तीन माह	"	"	"
3	मेरठ (सा.नि. बागपत	ग्राम शेखपुरी सडक से बाला जी धाम तक खडण्जा निर्माण कार्य	रोहटा	1.551	3200.00	500 + 75 + 69	तीन माह	"	"	"
4	मेरठ (सा.नि. बागपत	ग्राम डूंगर में वेदपाल के खेत से जनक सिंह के खेत तक खडण्जा निर्माण कार्य	रोहटा	3.699	7400.00	500 + 150 + 78	तीन माह			
5	मेरठ (सा.नि. बागपत	ग्राम किनौनी में तालाब से भूमिया बाबा तक भराव, इं0लो0टाईल्स, नाली निर्माण कार्य	रोहटा	4.094	8200.00	500 + 150 + 78	तीन माह			
6	मेरठ (सा.नि. बागपत	ग्राम भूनि में गोपीचन्दकश्यप के मकान से राजेश कश्यप के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स कार्य	सररपुर	2.893	5800.00	500 + 150 + 78	तीन माह			
7	मेरठ (सा.नि. बागपत	ग्राम मुल्हैडा में ईदगाह से रिकू शर्मा व साधुराम के खेत तक खडण्जा कार्य	सररपुर	7.095	14200.00	500 + 225 + 87	तीन माह			
8	मेरठ (सा.नि. बागपत	ग्राम छुर में भूरा/सोहनबीर के यहाँ से नैने सिंह नाहर के यहाँ तक खडण्जा कार्य	सररपुर	6.73	13500.00	500 + 225 + 87	तीन माह			
9	मेरठ (सा.नि. बागपत	अफजलपुर पावटी में प्रहलाद की टयूबवैल से महामायी तक खडण्जा कार्य	जानी	1.219	2500.00	500 + 75 + 69	तीन माह			
10	मेरठ (सा.नि. बागपत	ग्राम धोलडी में कर्णसिंह के मकान से हरीकिशन के मकान तक, नरेन्द्र की दुकान वाला रास्ता, सुनील व प्रकाश वाली गली में इं0लो0 टाईल्स कार्य	जानी	7.284	14600.00	500 + 225 + 87	तीन माह			

5. निविदा की वैधता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिन के लिए होगी। वैधता की अवधि में निविदा को वापस नहीं लिया जा

- सकेगा।
6. निविदा प्रक्रिया ई-टेंडरिंग (E-Tendering) के माध्यम से अर्थात् ऑनलाईन (Online) होगी। निविदा प्रपत्र बेवसाईट <http://etender.up.nic.in> से डाउनलोड (Download) किये जा सकते हैं तथा इसी बेवसाईट पर अपलोड (Upload) किये जा सकते हैं। प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक प्रपत्र की स्कैन कापी को बिड के साथ ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
 7. निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाईट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
 8. प्रत्येक निविदा के साथ (रु० 500.00 स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क एवं जी.एस.टी.जे. कालम 7 में अंकित है, अप्रत्यापनीय शुल्क (नॉन रिफण्डेबल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में, उपरोक्त धनराशि के लिये अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी कॉलम संख्या 9, एवं 10 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।
 9. शासनादेश संख्या-3070/78-2-2018-42आई0टी0/2017(22)आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03, जनवरी, 2018 के अनुसार निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) की प्राप्ति हेतु ऑन लाईन व्यवस्था होने तक निविदादाताओं द्वारा ई-टेंडरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) संबंधी डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर्स की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण-पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक कराने पर, प्राप्त ट्रॉजेक्शन नम्बर को, निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिडस खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) संबंधी डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर्स/प्रतिभूति प्रमाण-पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाये।
- निविदा मूल्य सम्बन्धित मूल डिमांड ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ के पदनाम से देय होनी चाहिये। (मूल रूप में) धरोहर धनराशि (FDR) निविदा प्रपत्र में निर्धारित किसी एक रूप में कार्यवार अलग-अलग देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति से एक वर्ष 6माह तक वैध होनी चाहिये, जो कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ के पदनाम से बन्धक होगी। FDR कम्प्यूटराईज्ड बन्धक कराना अनिवार्य है। (मूल रूप में)
1. बिड डाक्युमेंट के आई0टी0बी0 के अनुरूप प्रपत्र (मूल रूप में) (टी-4, टी-5 टी-6 सहित)
 2. निविदा के साथ अपलोड किये गये समस्त स्वहस्ताक्षरित अभिलेख।
 3. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी सूचनाओं की सत्यता के सम्बन्ध में रु० 100/-के स्टैम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (मूल रूप में)।
10. दस लाख से ऊपर के कार्यों के लिए प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक कार्य के लिए (संलग्न-1) के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर सारी सूचनायें एफोडेवित के रूप में देनी होंगी। जिससे कि निविदादाता की बिड कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा क्षमता) आंकलित की जा सके। प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व बिड कैपेसिटी के लिए स्वयं को संतुष्ट करना होगा। बिड क्षमता सैक्शन 3 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी जो निविदादाता आवश्यक बिड कैपेसिटी को पूर्ण नहीं करते हैं उनकी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी।
 11. कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) खण्डिय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड/वृत्त में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी खण्ड एवं उससे सम्बन्धित वृत्त में कार्यरत हों।
 12. कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवानिवृत्ति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकार के अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
 13. निविदा से सम्बन्धित विवरण निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईंग विशिष्टियों मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तों जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है, को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जिसका उल्लेख कॉलम-9 में किया गया है, किसी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक दिनांक 25.05.2018 से 30.05.2018 तक देखा जा सकता है।
 14. ऐसे निविदादाता जिनका अपराधिक रिकार्ड है, वह टेंडर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।
 15. कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे। (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे।)
 16. निविदादाता को निविदा के साथ रु० 100/- का स्टाम्प पेपर रु० 1/- का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 17. निविदा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि निविदा दाता द्वारा बन्द लिफाफे के उपर निविदा नोटिस का क्रमांक एवं बिड आई डी. संख्या (जो आन लाईन निविदा सबमिट करने पर बेवसाईट द्वारा प्रजनित होती है) ही अंकित करना है। लिफाफे पर निविदा दाता द्वारा अपना अथवा अपने फर्म का नाम अंकित नहीं किया जायेगा।
 18. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा, निविदा के किसी भी भाग, अथवा सभी निविदाओं के निरस्त करने का अधिकार होगा इस सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 19. शासनादेश सं० 622/23-12-2012-02आडिट/08टी0सी0-2लो0नि0वि0-12 लखनऊ दिनांक 8.6.2012 के क्रम में निविदादाता से 10 प्रतिशत below तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक below दर पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफोरमेन्स जमानत राशि देय होगी।
 20. शासनादेश संख्या- 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 (भूतत्व खनिकर्म अनुभाग) के अनुसार ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों पर देयकों के साथ वैद्य एम0एम0-11 (रवन्ना) संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में या वैद्य एम0एम0-11 (रवन्ना) देयकों के साथ संलग्न न होने पर देयकों से रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का 5 गुना) की कटौती की जायेगी।
 21. ठेकेदार/फर्म जिसके नाम अनुबन्ध गठित होगा, अनुबन्ध गठन के एक सप्ताह के अन्दर श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
 22. ई-निविदा सूचना में प्रकाशित कार्यों के लिये डिफेक्ट लाइबिलिटी समयावधि कार्य पूर्ण करने की तिथि से 2 वर्ष तक की

